गाज़ियाबाद में ग्रीन डाटा सेंटर

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के **गाज़ियाबाद में** अत्याधुनिक **ग्रीन डाटा सेंटर का** उद्घाटन किया गया।

मुख्य बिंदु

- **परियोजना विवरण**:
  - यह परियोजना **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम **सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL)** और **ESDS** के बीच एक **संयुक्त पहल** है।
  - इसमें **1,000 करोड़ रुपए** का **अनुमानित निवेश** प्रस्तावित है तथा इसकी **क्षमता 30 मेगावाट** होगी।
- **संरचना**:
  - यह **डाटा सेंटर ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों**, **नवीकरणीय ऊर्जा** तथा **पर्यावरण-अनुकूल डिज़ाइन** का उपयोग करेगा।
  - **कनेक्टिविटी और अनुकूलता**:
  - इसमें **क्लाउड एकीकरण** तथा **आपदा पुनर्प्राप्ति** के लिये **40 Gbps रेडियो फाइबर नेटवर्क** और **दोहरे 10 Gbps कनेक्शन** की सुविधा होगी।
  - इसमें **वर्षा जल संचयन**, **परावर्तक छत** तथा **स्मार्ट शीतलन प्रणाली** जैसी सुविधाएँ भी शामिल की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021

- **विज़न और मिशन**:
  - उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर उद्योग के लिये एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
  - वैश्विक एवं घरेलू निवेश को आकर्षित करते हुए तथा MSME/स्टार्ट-अप्स को समर्थन प्रदान कर विश्व स्तरीय डाटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
- **लक्ष्य**:
  - राज्य में **900 मेगावाट** की **डाटा सेंटर क्षमता** विकसित करना।
  - लगभग **30,000 करोड़ रुपए** का **निवेश आकर्षित** करना।
  - कम-से-कम **8 निजी अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क** स्थापित करना।
- **नोडल एजेंसी**:
  - **उत्तर प्रदेश का IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग** इस नीति के **क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी** नियुक्त करेगा।
- **परिभाषाएँ:**
  - **डाटा सेंटर पार्क**: इसकी न्यूनतम क्षमता **40 मेगावाट** होनी चाहिये।
  - **डाटा सेंटर यूनिट**: इसकी क्षमता **2 मेगावाट से अधिक और 40 मेगावाट से कम** होनी चाहिये; इसमें **कैप्टिव डाटा सेंटर** शामिल नहीं होंगे।
- **डाटा सेंटर पार्क हेतु प्रोत्साहन**:
  - डाटा सेंटर पार्कों को **7 वर्षों तक अधिकतम 60% ब्याज अनुदान** मिलेगा, जिसकी **वार्षिक अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए** तथा **प्रत्येक पार्क हेतु कुल अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए** निर्धारित की गई है।
    - **मध्यांचल** और **पश्चिमांचल** में **25%** तथा बुंदेलखंड एवं **पूर्वांचल** में **50%** की **भूमि सब्सिडी** उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम सीमा **कुल परियोजना लागत के 7.5%** या **75 करोड़ रुपए** (जो भी कम हो) तक निर्धारित है।
    - यह सब्सिडी केवल **नीति के अंतर्गत अधिसूचित पहले 8 डाटा सेंटर पार्कों** पर लागू होगी तथा यदि किसी पार्क में यह **पहले से दावा की जा चुकी है**, तो उस पार्क के भीतर **डाटा सेंटर इकाइयों** पर यह **लागू नहीं होगी**।
  - **स्टाम्प ड्यूटी में छूट**: **पहले लेनदेन** पर **100% छूट** तथा **दूसरे लेनदेन** पर **50% छूट** प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, **दोहरी पावर ग्रिड आपूर्ति** की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
- **डेटा सेंटर इकाइयों के लिये प्रोत्साहन**:
  - **डेटा सेंटर इकाइयाँ 20 करोड़** रुपए तक के **निश्चित पूंजी निवेश** (भूमि और भवन को छोड़कर) पर **7% पूंजी सब्सिडी** का लाभ उठा सकती हैं, जिसे **10 वर्षों** में **2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष** की अधिकतम सीमा के साथ वितरित किया जाएगा।

- **भूमि सब्सिडी** के लिये भी ये इकाइयाँ पात्र हैं: **मध्यांचल** और **पश्चिमांचल** में **25%** तथा **बुंदेलखंड** एवं **पूर्वांचल** में **50%** की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा **परियोजना लागत के 7.5%** या **75 करोड़ रुपए** (जो भी कम हो) तक होगी।

h

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/green-data-centre-in-ghaziabad